

# जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

लगाता पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के लागे हो सका जाते हैं जि-  
कि किसी अन्य व्यापिकारी के लागे हो।  
उम्मीदित विषय पर बड़े पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अपने लिखा जाते दिया जाता है।



पत्र : नूरीफिल्मी  
दूरध्वार : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
न्यालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५७१६

दिनांक: २४/१५/११२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर ने उम्मीद रखाजी विषेकालबद्ध कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, शिवपुरी (07492-220322) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवालित बी.एच. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी उम्मीदवाता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये जालनीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर ने उम्मीदवाता अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विभागुलात विरीक्षण लमिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डॉ.एन. गोतम, कुलाधिसंचित, जी.वि.वि. न्यालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)

(2) प्रो. डॉ.एन. गोत्यामी, आधार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. न्यालियर।

(3) प्रो. विषेक बापट, आधार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. न्यालियर।

विरीक्षण लमिति के उद्देश्य से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, परेहर साथे, वार्षिक सैक्षणिक/अतौरात्मिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अकापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्लाइंट परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति वय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सैक्षणिक एवं अतौरात्मिक स्टॉफ की विवृतियों का प्रमाण एवं बंतवाल आदि के बारे में रूपरूप अनुशंसारे अंकित करें। उम्मीदवाता प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण लमिति लंयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्वापित कर विरीक्षण करावें। लमिति लंयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विवारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विरीक्षण लमिति / संयोजक का होगा।

लमिति भवन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण ने की जई देही के लिए महाविद्यालय रखवं उत्तराधी होगा। जिसकी सूचना लमिति न्यता ही आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो लमिति उक्त विरीक्षण को आयुक्त और पुनः विरीक्षण लमिति भवन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रखलय रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परता ही विरीक्षण लमिति का पुर्वान्तर किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार उम्मीदवाता प्राप्त किए विवा छार्जों को प्रवेश देना अतिवाधिक है।

विरीक्षण लमिति के ताकि सम्बद्धता शाला में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्याली लेकर जावें तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से विरीक्षण लमिति को अवक्षत करावें। विरीक्षण लमिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

कुलसंचित

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आवाह है कि लमिति के संयोजक से संपर्क स्वापित कर विरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
5. कुलपति के उचित / कुलसंचित को विजी उच्चायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

उप-कुलसंचित (सम्बद्धता)